



ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और आतंकवाद पर दृष्टिकोण

डॉ. स्तुति बनर्जी

अंतिम अद्यतन : सितम्बर 19, 2017

ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) बड़े क्षेत्र, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था या सैन्य ताकत वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के अलावा उन देशों की आवाज़ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के पास विश्व की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 20 प्रतिशत हिस्सा है। वे साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत संरचना में बदलाव की मांग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की तालिका बनाने के एजेंडे पर अपनी सही जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वे ऐसे देश हैं जो साथ मिलकर एक परस्पर-निर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही एक परस्पर जुड़ी दुनिया की चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। ब्रिक्स के पाँच देशों ने ऐसे कई मुद्दों पर अपने विचारों को संरेखित किया है, जिनका सामना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जा रहा है। वे जलवायु परिवर्तन, व्यापार और आतंकवाद जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की तलाश में हैं।

यह शोधपत्र आतंकवाद के प्रति ब्रिक्स के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेगा। ऐसा करने के प्रयास में, शोधपत्र ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की घोषणाओं (2009 से 2016) की तुलना करेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि क्या ब्रिक्स ने रूस में 2009 में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन से लेकर 2017 में गोवा में आयोजित नवीनतम शिखर सम्मेलन तक आतंकवाद पर अपने विचार विकसित किए हैं। पाँच देशों के नेता सितंबर 2017 में चीन के शियामेन में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मिलने वाले हैं, ताकि आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की भूमिका को और बढ़ाया जा सके।

ब्रिक्स की घोषणाओं में आतंकवाद के मुद्दे पर दिए गए बयानों के आधार पर , नीचे दी गई तालिका में आतंकवाद पर ब्रिक्स के विचारों के विकास को समझने का प्रयास किया गया है।

आतंकवाद पर ब्रिक्स का दृष्टिकोण: 2009-2016

चर्चित मुद्दे/ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के वर्ष और स्थान	2009, येकातेरिनबर्ग रूस	2010, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील	2011, सान्या, चीन	2012, दिल्ली, भारत	2013, डरबन, दक्षिण अफ्रीका	2014, फोर्टालेजा, ब्राज़ील		2016, गोवा, भारत
आतंकवाद पर व्यापक दृष्टिकोण	घोषणा में कहा गया है, "हम सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और दोहराते हैं कि किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कारण से आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।"	सदस्य देशों ने कहा, "हम सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवादी कृत्यों की निंदा करते हैं।"	सदस्य राज्यों ने अपने दृष्टिकोण को दोहराया और कहा, "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए, किसी स्थिति में कोई औचित्य नहीं हो सकता है।"	ब्रिक्स के देशों ने कहा, "हम दोहराते हैं कि किसी भी कारण से, किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।"	डरबन घोषणा में कहा गया है, "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की अपनी कड़ी निंदा को दोहराते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।"	सदस्य राज्यों ने घोषणा की, "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी निंदा को दोहराते हैं, चाहे वह कहीं भी हो।"	सदस्य राज्यों द्वारा आतंकवाद पर अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए घोषणा में आगे कहा गया है कि आतंक के कृत्यों को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। कहा, "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी कड़ी निंदा को दोहराते हैं और	नवीनतम घोषणा में भी ब्रिक्स ने अपने इसी रुख को जारी रखा है जो सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा करता है। इसमें कहा गया है, "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं और इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद के

							कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है, चाहे वह वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक, नस्लीय, जातीय, या किसी अन्य औचित्य पर आधारित हो।	किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है, चाहे वह वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक, नस्लीय, जातीय या किसी अन्य कारण से किया गया हो।"
संयुक्त राष्ट्र की भूमिका	2009 के बाद से हुई सभी घोषणाओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया है।							
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समझौते का दृष्टिकोण (सीसीआईटी)	सदस्य देश पहल का समर्थन करते हैं	सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र से समझौते को अपनाने का आग्रह किया।	सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समझौते को अपनाने का आग्रह किया।	सदस्य देशों ने इस वैश्विक संकट को दूर करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए, सभी सदस्य राज्यों द्वारा समझौते	देशों ने समझौते पर वार्ता को जल्द से जल्द समाप्त करने और सभी सदस्य देशों द्वारा इसे अपनाने के आग्रह को	सदस्य राष्ट्रों ने जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र में बातचीत पूरी करने और इसे अपनाने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया।	कोई संदर्भ नहीं	सदस्य राष्ट्रों ने समझौते को अपनाने के लिए सभी देशों से आह्वान किया।

				के मसौदे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और इसे अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।	दोहराया और इस उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।			
सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि वे साइबर क्राइम से निपटने पर विशेष ध्यान देंगे।	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	सदस्य राज्यों ने, एक वैश्वीकृत समाज में, आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी), विशेष रूप से इंटरनेट और अन्य मीडिया के बढ़ते उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की और दोहराया कि ऐसी प्रौद्योगिकियां	घोषणापत्र में सूचना के संचार और संचार साधनों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई, जो कि संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों और आतंकवाद के कार्य करने के लिए, आपत्तिजनक औजारों को विकसित करने हैं।	सदस्य राज्य सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी समूह की पहुँच का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं

						आतंकवाद के प्रसार के प्रतिरोध में शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं।		
रासायनिक और जैविक हथियारों का खतरा	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	सदस्य देश रासायनिक और जैविक आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में बहुपक्षीय वार्ता शुरू करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आतंक वित्तपोषण का मुकाबला	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	शिखर सम्मेलन की घोषणा में सभी राज्यों से आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण या	सदस्य राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर धन शोधन और आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण के लिए धन	सदस्य देशों ने धन शोधन, ड्रग व्यापार आदि के माध्यम से आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिए

						अन्यथा समर्थन प्रदान करने से बचने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया गया।	शोधन का मुकाबला करने में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को संकेतित किया। वे धन शोधन के विरोध और एफएटीएफ के भीतर आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स परिषद की स्थापना की दिशा में आगे बढ़े।	सभी आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।
आतंकवाद-प्रतिरोध पर ब्रिक्स का संयुक्त कार्य समूह	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	ब्रिक्स 2016 के गोवा शिखर सम्मेलन में कार्य समूह की स्थापना की

								गई है।
अफगानिस्तान	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	सदस्य देशों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद से मुक्त एक स्थिर, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।	ब्रिक्स के देशों ने, एक बार फिर से, आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त, एक शांतिपूर्ण, स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में अफगानिस्तान के उभरने का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अफगानिस्तान के	आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए उनके समर्थन को रेखांकित किया।	राज्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में किए गए प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।	राष्ट्रों ने आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी से मुक्त राष्ट्रीय सुलह और आतंकवाद का मुकाबला करने वाली अफगान के नेतृत्व और अफगान के स्वामित्व वाली अफगान सरकार के प्रयासों को अपना समर्थन दिया और हो गए।

					स्थिरीकरण के लिए और अधिक प्रभावी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।			
सीरिया	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	घोषणा में सीरिया में सभी हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया।	सदस्य राज्यों ने सीरिया से निकलने वाले आतंकवाद के खतरे और अल कायदा द्वारा संचालित आतंक के कृत्यों पर अपनी चिंता व्यक्त की।	राज्यों ने सीरिया में आतंकवाद के बढ़ने पर अपनी चिंता व्यक्त की।	राज्यों ने सीरिया में जारी हिंसा, बिगड़ती मानवीय स्थिति और क्षेत्र में आतंकवाद और चरमपंथ के बढ़ते खतरे के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की।	कोई संदर्भ नहीं
इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	कोई संदर्भ नहीं	आईएसआईएल और अल नुसराह और अन्य समूहों	यह स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद,

(आईएसआई एल)							<p>जैसे आतंकी संगठनों की वृद्धि की निंदा की।</p> <p>घोषणा में अफ्रीका में बोको हराम अल-शबाब जैसे समूहों की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भी समर्थन दिया गया।</p>	<p>विशेष रूप से इराक और इस्लामिक राज्य इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल, जिसे दायेश के रूप में भी जाना जाता है) और संबद्ध आतंकवादी समूह तथा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक वैश्विक और अभूतपूर्व खतरा है।</p>
----------------	--	--	--	--	--	--	---	---

निष्कर्ष

आतंकवाद एक निरंतर बढ़ता वैश्विक खतरा है जो सभी देशों को प्रभावित करता है। जब से आतंकवादी समूहों ने समर्थन ठिकाने बनाने और प्रभावित करने के अपने तरीके विकसित हुए हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हमले किए गए हैं, तब से यह यह ब्रिक्स राष्ट्रों के नेताओं के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। ब्रिक्स ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार इस खतरे से लड़ने का आग्रह किया है। 2015 में, आईएसआईएल एक बड़े खतरे के रूप में उभरने और अन्य आतंकी समूहों के उससे गठबंधन करने पर, ब्रिक्स ने धर्म और विचारधारा के आधार पर आतंक के सभी कृत्यों को इसमें शामिल करने के लिए अपने दृष्टिकोण को विस्तारित किया। यूरोप में प्रवासन संकट और विभिन्न जातियों और जातीयता के लोगों पर हमलों में वृद्धि के साथ, उन्होंने समूहों या व्यक्तियों पर नस्लीय और जातीय हमलों को भी आतंकवाद की अभिव्यक्तियों के रूप में शामिल किया। 2016 की गोवा घोषणा में यह निंदा दोहराई गई थी और 2017 की ब्रिक्स घोषणा में भी इसके शामिल होने की संभावना है। ब्रिक्स राष्ट्रों ने बार-बार आतंकवाद के मुद्दे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत बनाने के लिए कहा है।

वर्ष 2009 में आयोजित पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद से, समूह ने संयुक्त राष्ट्र के लिए लगातार और अटूट समर्थन दिया है और इस बात को बनाए रखा है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की एक केंद्रीय एजेंसी बना हुआ है। इसके तहत, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (सीसीआईटी) पर व्यापक समझौते के लिए अपना समर्थन बनाए रखा है और अन्य देशों से बार-बार समझौते के निर्णय को अपनाने का आग्रह किया है। समझौते संधि में कहा गया है, "...आतंकवाद के कृत्यों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया कि आतंकवादी कृत्यों के अपराधी अपने प्रत्यर्पण या अभियोजन प्रदान करके अभियोजन और सजा से बच नहीं सकते हैं ...।" समझौते में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ निश्चित कृत्य² करता है, उसे आतंकवादी माना जाएगा और राज्यों को उन्हें उचित दंड देना होगा। राष्ट्रों को एकजुट रहना चाहिए और आतंकवाद के सभी प्रकारों की निंदा करनी चाहिए और उन्हें 'अच्छे' और बुरे 'आतंकवादियों' में विभाजित नहीं करना चाहिए। एक आतंकवादी को कैसे परिभाषित किया जाए और इसमें क्या शामिल होगा, इस पर अनिश्चितता के कारण समझौते को नहीं अपनाया गया है। 2014 से, ब्रिक्स राष्ट्रों ने समझौते के कार्यान्वयन का आह्वान किया है। यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि ब्रिक्स के सदस्य देशों को बार-बार आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहमति का इंतजार करते हुए ब्रिक्स राष्ट्रों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए कई वर्षों में अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया है। 2016 में, उन्होंने आतंकवाद-रोधी कार्यदल का गठन किया और वे सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वार्षिक बैठकें आयोजित करते हैं। इससे संयुक्त योजना बनाने और खुफिया जानकारी साझा करने का अवसर मिलता है।

आतंकवाद का वित्तपोषण इस मुद्दे का एक और पहलू है जिसने पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स देशों में प्रमुखता प्राप्त की है और उन्होंने अपने क्षेत्रों से आतंक के वित्तपोषण की संभावना को रोकने के उपायों को स्थापित करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। यह उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीसीआईटी को अपनाने का आग्रह करने के संदर्भ में है। 2012 में, जी-20 की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के साथ ही सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचे के निर्माण के लिए कुछ सिफारिशें कीं। हथियारों, सेवाओं, आदि की खरीद के लिए वित्तपोषक समूहों को समाप्त करने की दिशा में काम करने के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को ध्यान में रखते हुए, ब्रिक्स ने 2015 में धन शोधन का विरोध और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स परिषद स्थापित की है।

जबसे यह स्पष्ट हो रहा है कि आतंकी समूह सदस्यों की भर्ती के साथ-साथ अपने समर्थकों से संवाद करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, ब्रिक्स ने सूचना सुरक्षा पर सहयोग बनाने पर ध्यान देने की कोशिश की है। उन्होंने इसे साइबर सुरक्षा पर मजबूत सहयोग करने की आवश्यकता से भी जोड़े के लिए है, क्योंकि सरकारी कामकाज को बाधित करने के लिए हैकिंग और मैलवेयर के उपयोग का खतरा बना रहता है। आईएसआईएल जैसे आतंकी समूहों की घटनाओं के बढ़ने के साथ, जो सोशल मीडिया का उपयोग करके युवाओं को समूहों में शामिल होने का लालच देते हैं, जो लोग अपने बल पर आतंकी हमलों में शामिल होने के साथ-साथ दूसरों को लुभाने के लिए प्रचार सामग्री वितरित करने में असमर्थ हैं, उनके लिए, ब्रिक्स ने 2014 के बाद से, आतंकवाद के प्रसार का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता को शामिल किया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्मीद है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में युवाओं की बढ़ती संख्या के साथ, इन देशों में इंटरनेट का उपयोग बढ़ेगा। इसका इस्तेमाल आतंकवादी समूहों द्वारा अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

वर्ष 2016 में आयोजित गोवा शिखर सम्मेलन की घोषणा से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया था। इस घोषणा में 'आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करना' एक और आवश्यकता के रूप में शामिल किया गया था। इसकी सीमाओं के पार से समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लंबी उड़ान को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। उम्मीद है कि एजेंडे का यह बिंदु चीन (2018) के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बरकरार रहेगा और भारत सभी मंचों पर इस पर जोर देना जारी रखेगा।

ब्रिक्स के देशों के मिलकर काम करते हुए, देश में शांति और स्थिरता लाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में अफगान सरकार की सहायता करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय बलों को वापस बुला लिया गया है, ब्रिक्स ने शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण के लिए अपना समर्थन दिया है। अफगानिस्तान पाँच ब्रिक्स राष्ट्रों में से तीन की सीमा से लगा है और वह इस क्षेत्र की समग्र स्थिरता में

योगदान देने वाला एक सुरक्षित राष्ट्र होगा। भारत के लिए, अफगानिस्तान का महत्व केवल दो देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर विशेष होने का कारण न होकर उन पुनर्निर्माण परियोजनाओं के परिणामस्वरूप भी है जो भारत ने देश में किए हैं। एक स्थिर अफगानिस्तान के होने से आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भी भारत के लिए एक फायदा है।

वर्ष 2012 में सीरियाई संकट में वृद्धि और देश में आईएसआईएल के बढ़ते प्रभाव के साथ, ब्रिक्स राष्ट्रों ने सभी दलों से हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया। उफ़ा डिक्लेरेसन ने सीरिया में संघर्ष को काफी जगह प्रदान की है और कहा है कि यह खतरनाक खतरों का सामना करने में सीरिया के समाज को मजबूत करने का आह्वान करता है। " सीरियाई संकट के बाद के वर्षों में ब्रिक्स घोषणापत्र में भी संकट को हल करने के लिए संघर्ष में शामिल पार्टियों को बुलाया है और इस क्षेत्र में आतंकवाद के उदय पर चिंता व्यक्त की है। शायद रूसी सरकार द्वारा गृह युद्ध में सीरिया सरकार को दिये गये समर्थन के कारण उफ़ा में सीरिया पर ध्यान दिया गया क्योंकि 2016 की घोषणा में संकट का कोई संदर्भ नहीं है।

आईएसआईएल एक मुख्य संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसका प्रभाव बढ़ता गया और इसे अन्य आतंकी समूहों का समर्थन मिला, 2015 में ब्रिक्स ने अपने उफ़ा घोषणा में ऐसे संगठनों की वृद्धि की निंदा की। ब्रिक्स द्वारा अफ्रीका के देशों के साथ संबंध बना ने पर, पता चला कि महाद्वीप में आतंक की गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। ब्रिक्स ने बोको हरम और अल-शबाब द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है। यह 2016 के गोवा शिखर सम्मेलन में भी जारी है।

ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करता है जो पाँच देशों को अपने संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक प्रभाव बनाने में मदद करता है। उम्मीद है कि चीन में 2017 के शिखर सम्मेलन में, पाँचो देशों द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जब तक ये देश एकजुट रहना जारी रखते हैं, ब्रिक्स देशों को आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित करने की जरूरत है। भारत इस मंच पर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों को उठाना जारी रखेगा, लेकिन यह संभावना नहीं है कि अन्य राष्ट्र शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा में इस तरह के शब्दों की अनुमति देने के इच्छुक होंगे।

आतंकवादी द्वारा संभावित रूप से 'गंदे बमों' के लिए रासायनिक और जैविक हथियारों और संभवतः परमाणु सामग्री के इस्तेमाल किए जाने के जोखिम के साथ, ब्रिक्स राष्ट्रों के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों सहित ऐसी सभी सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करने की दिशा में काम करने की आवश्यक है। नवीनतम घोषणा (2016) में सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) का उल्लेख किया गया है। यह प्रारंभिक अवस्था में है, जिसमें सदस्य देश इस खतरे से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। इस बीच, वे परमाणु ऊर्जा और रेडियोलॉजिकल

सामग्री की सुरक्षा के प्रयासों में सहायता और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ काम कर सकते थे।

ब्रिक्स राष्ट्रों के पास विश्व की आबादी के चालीस प्रतिशत के करीब का प्रतिनिधित्व है , उनमें युवाओं की एक उल्लेखनीय संख्या हैं जो वैश्विक इंटरनेट/सोशल मीडिया समुदाय का बढ़ता हुआ हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों को इंटरनेट के उपयोग की सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो नागरिकों की अनियंत्रित सरकारी निगरानी का कारण न बन कर एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करे जिससे वह इंटरनेट पर मौजूद आतंकी नेटवर्क पर नजर रख सके। उन्हें साइबर सुरक्षा पर एक आम सहमति बनानी होगी और साइबर अपराधों से लड़ने के लिए विचारों और/या सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना होगा।

ब्रिक्स के देश समान चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं। वे वैश्विक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण में अधिक समानताएं पाते हैं , इसलिए आशा है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण का निर्माण करने में सक्षम होंगे।

**डॉ.स्तुति बनर्जी , भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्यक्षता हैं*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।

पादटिप्पणियां :

1 ---, "Draft of Comprehensive Convention on International Terrorism," <https://www.ilsa.org/jessup/jessup08/basicmats/unterterrorism.pdf>, 03 अगस्त 2017 को अभिगम्य.

2 Article Two states, "1. Any person commits an offence within the meaning of the present Convention if that person, by any means, unlawfully and intentionally, causes: (a) Death or serious bodily injury to any person; or (b) Serious damage to public or private property, including a place of public use, a State or government facility, a public transportation system, an infrastructure facility or to the environment; or

(c) Damage to property, places, facilities or systems referred to in paragraph 1 (b) of the present article resulting or likely to result in major economic loss; when the purpose of the conduct, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act. 2. Any person also commits an offence if that person makes a credible and serious threat to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article. 3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article. 4. Any person also commits an offence if that person: (a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of

the present article; or (b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph

1, 2 or 3 of the present article; or (c) Contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either: (i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in paragraph 1 of the present article; or (ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article.

अनुलग्नक

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन घोषणा: कुछ अंश:

येकातेरिनबर्ग, रूस (2009) [2] - "...हम सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और दोहराते हैं कि किसी भी कार्य के लिए या किसी भी कारण से आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।" हमने ध्यान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समझौते का मसौदा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचारधीन है और इसे तत्काल अपनाने का आह्वान करते हैं।"

ब्रासीलिया, ब्राज़ील (2010) [2] - "... हम सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवादी कृत्यों की निंदा करते हैं। हमने ध्यान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर , मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए और यह कि आतंकवादी कृत्यों की रोकथाम उतनी ही महत्वपूर्ण है आतंकवाद और उसके वित्तपोषण का दमन। "इस संदर्भ में , हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और व्यापक रूप से सभी सदस्य देशों द्वारा इसे अपनाने पर समझौता वार्ता के शीघ्र समापन का आग्रह करते हैं। "ब्राज़ील और चीन, रूस और भारत के लोगों और सरकारों के साथ सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करते हैं जो हाल के बर्बर आतंकवादी हमलों से पीड़ित थे। आतंकवाद को किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। "

सान्या, चीन (2011) [2] - "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए , किसी स्थिति में कोई औचित्य नहीं हो सकता है।" हम मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ढांचे के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका है। इस संदर्भ में , हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और व्यापक रूप से सभी सदस्य देशों द्वारा इसे अपनाने पर समझौता वार्ता के शीघ्र समापन का आग्रह करते हैं। हम इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा

को मजबूत करने में सहयोग करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम साइबर अपराध से निपटने पर विशेष ध्यान देंगे।”

दिल्ली, भारत (2012) [2] - "... हम अफगानिस्तान को आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त , एक शांतिपूर्ण, स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरने में सहयोग देने की अपनी हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अफगानिस्तान के स्थिरीकरण के लिए अधिक प्रभावी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।”

“हम दोहराते हैं कि आतंकवाद के किसी भी रूप या अभिव्यक्ति के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है। हम इस खतरे का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं और मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ढांचे के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की एक केंद्रीय भूमिका है। हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते के मसौदे के शीघ्र अंतिम रूप देने और इस वैश्विक संकट को दूर करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए सभी सदस्य देशों द्वारा इसे अपनाने पर जोर देते हैं।”

डरबन, दक्षिण अफ्रीका (2013) [2] - "... हम अफगानिस्तान को आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त , एक शांतिपूर्ण, स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरने में सहयोग देने की अपनी हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अफगानिस्तान के स्थिरीकरण के लिए अधिक प्रभावी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।”

“हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की अपनी कड़ी निंदा को दोहराते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।”

हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के ढांचे के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका है। इस संदर्भ में, हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की वैश्विक आतंकवाद प्रतिरोध की रणनीति के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं और इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं। हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते पर वार्ता को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए अपने आह्वान को दोहराते हैं और सभी सदस्य देशों द्वारा इसे अपनाने और इस उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हैं।”

फोर्टालेजा, ब्राज़ील (2014) [2] - , *“हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी निंदा को दोहराते हैं, चाहे वह कहीं भी हो।”* हम सीरिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लगातार बढ़ते खतरे पर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम सभी सीरियाई दलों का आह्वान करते हैं कि वे अल-कायदा, उसके सहयोगियों और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए आतंकवादी कार्यों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हों। ”

“... हम अफगानिस्तान के आतंकवाद और चरमपंथ से मुक्त शांतिपूर्ण, स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभरने में समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित अफगानिस्तान के स्थिरीकरण के लिए अधिक प्रभावी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। हम पेरिस संधि के ढांचे के भीतर अफगानिस्तान में होने वाले अफ़ीम में अवैध यातायात का मुकाबला करने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम अफगानिस्तान में एक व्यापक-आधारित और अफगान के नेतृत्व तथा अफगान-स्वामित्व वाली समावेशी शांति प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं...। ”

"हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी कड़ी निंदा को दोहराते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है, चाहे वह वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक, नस्लीय, जातीय, या किसी अन्य औचित्य पर आधारित हो।"

हम सभी संस्थाओं से आह्वान करते हैं कि वे आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण , प्रोत्साहन, प्रशिक्षण प्रदान करने या अन्यथा समर्थन देने से परहेज करें। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका है , जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संबंध में संचालित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम एक वैश्विक समाज में, आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), विशेष रूप से इंटरनेट और अन्य मीडिया के, बढ़ते उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, और दोहराते हैं कि इस तरह की प्रौद्योगिकियां लोगों के बीच सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने सहित, आतंकवाद का मुकाबला करने में शक्तिशाली उपकरण हो सकती हैं। हम बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अपनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हम विशेष रूप से प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में आतंकवाद को रोकने में अपने देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

ऊफ़ा, रूस (2015) [2] - *"हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी कड़ी निंदा को दोहराते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी कार्य के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है , चाहे वह वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक, नस्लीय, जातीय, या किसी अन्य औचित्य पर आधारित हो।"* हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने में अपने सहयोग को लगातार मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की एक केंद्रीय भूमिका है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी और मानवीय कानून , मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता शामिल हैं। हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के सभी प्रासंगिक संकल्पों से उत्पन्न राज्यों और उनके सभी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के व्यापक कार्यान्वयन के माध्यम से आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। हम सभी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनकी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों का पालन करने और इस संबंध में राजनीतिक

दृष्टिकोण और चयनात्मक आवेदन का विरोध करने का आह्वान करते हैं। ब्रिक्स देशों ने धन शोधन और आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हम एफएटीएफ और एफएटीएफ-शैली के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) में अपने सहयोग को तेज करना चाहते हैं। ”

“हम मानते हैं कि हिंसक अतिवाद के प्रसार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इसकी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक आवश्यक शर्त है। साथ ही, हम इस बात को रेखांकित करते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंसक चरमपंथ से संबंधित खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संप्रभु सरकारें उठाती हैं।”

“सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां, नागरिकों को अर्थव्यवस्था, समाज और राज्य के प्रभावी कामकाज के लिए नए उपकरण प्रदान करती हैं। आईसीटी सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने और मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अवसरों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के लिए, आक्रामक उपकरण विकसित करने और आतंकवाद के कृत्यों के संचालन के लिए आईसीटी के उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के माध्यम से आईसीटी का उपयोग और विकास एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और खुले डिजिटल और इंटरनेट का स्थान सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और व्यक्तिगत डेटा संग्रह की निंदा को दोहराते हैं, जो राज्यों की संप्रभुता और विशेष रूप से मानवाधिकारों का, निजता का अधिकार का उल्लंघन करते हैं ...।”

“हम सीरिया में जारी हिंसा, बिगड़ती मानवीय स्थिति और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और चरमपंथ के बढ़ते खतरे के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ... इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करते हुए, हम इस खतरनाक खतरे का सामना करने के लिए सीरियाई समाज को एकजुट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2121, 2178 और 2199 के सभी प्रावधानों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कड़ाई से कार्यान्वयन करने, विशेष रूप से वित्तपोषण और आतंकवादियों को समर्थन देने के अन्य रूपों के साथ-साथ आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त मानदंडों के अनुपालन का आह्वान करते हैं, जिसमें राज्यों की संप्रभुता के लिए सम्मान के सिद्धांत भी शामिल हैं।”

“हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी कड़ी निंदा करते हैं, तथाकथित इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, अल-नुसरह फ्रंट और संबद्ध आतंकवादी समूह द्वारा किए गए मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन, व्यापक और गंभीर दुर्व्यवहारों और विशेष रूप से व्यक्तियों और

समुदायों पर उनके धर्म या जातीयता के आधार पर उत्पीड़न , साथ ही साथ नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं ।”

“अफगानिस्तान में हम सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। हम इस बात को दोहराते हैं कि आतंकवाद और अतिवाद अफगानिस्तान, क्षेत्र और उससे आगे की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। आईएसआईएल के प्रभाव की उपस्थिति और तेजी से वृद्धि, साथ ही साथ अफगानिस्तान की सीमा के साथ सुरक्षा की स्थिति में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। हम अफगानिस्तान में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में किए गए प्रयासों का समर्थन करते हैं।”

“... हम आतंकवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में सरकार और केन्या के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता।”
“हम आतंकवाद और हिंसक अतिवाद के संकट के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और अल-शबाब, बोको हरम और अन्य समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों की निंदा करते हैं, जो अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।”

गोवा, भारत (2016) [2] - “हम अफगानिस्तान में लगातार सुरक्षा चुनौतियों और अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम राष्ट्रीय सुलह और आतंकवाद से निपटने के लिए अफगान के नेतृत्व और अफगान के स्वामित्व वाली अफगान सरकार और अफगानिस्तान में सुरक्षा की सुविधा के लिए रचनात्मक सहयोग के लिए तत्परता, अपने स्वतंत्र राजनीतिक और आर्थिक क्रम को बढ़ावा देने, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से मुक्त होने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। नेताओं ने विचार व्यक्त किया कि अफगान के सक्षम और प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (एएनएसएफ) को अफगानिस्तान की स्थिरीकरण की कुंजी होना चाहिए... ”

“हम आतंकवाद और अतिवाद से ग्रस्त, कई देशों में जारी राजनीतिक और सुरक्षा अस्थिरता पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करते हैं कि वे संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और विकास के प्रयासों सहित इन चुनौतियों को दूर करने में अपना समर्थन जारी रखें।”

“हम भारत सहित कुछ ब्रिक्स देशों के खिलाफ हाल के कई हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। **हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वैचारिक, धार्मिक, राजनीतिक, नस्लीय, जातीय या किसी अन्य कारणों के आधार पर, आतंकवाद के किसी भी कार्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।** हम द्विपक्षीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।”

“रासायनिक और जैविक आतंकवाद के खतरे को दूर करने के लिए , हम निरस्त्रीकरण समझौते में रासायनिक और जैविक आतंकवाद के कृत्यों के दमन पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में बहुपक्षीय वार्ता शुरू करने की आवश्यकता का समर्थन करते हैं और इस पर जोर देते हैं। इस संदर्भ में , हम 2018 में डब्ल्यूएमडी-टेररिज्म नेक्सस की चुनौती का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं।” “हम सभी राष्ट्रों से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हैं , जिसमें आतंकवाद, कट्टरता, भर्ती, आतंकवादियों सहित विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही , धन शोधन, मादक पदार्थों की तस्करी, आपराधिक गतिविधियां, आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना और आतंकवाद, संगठित अपराध के वित्तपोषण के स्रोतों को अवरुद्ध करना और नवीनतम सूचना और सोशल मीडिया सहित इंटरनेट संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के दुरुपयोग को रोकना शामिल हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सभी आतंकवाद विरोधी उपायों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना चाहिए और मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए ”

“हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की हाल की बैठक को स्वीकार करते हैं और इस संदर्भ में, 14 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में आतंकवाद प्रतिरोध पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूह की स्थापना और पहली बैठक का स्वागत करते हैं। हमारा मानना है कि यह आतंकवाद प्रतिरोध के मुद्दों पर ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच बातचीत और समझ को बढ़ावा देगा , साथ ही आतंकवाद के संकट को दूर करने के प्रयासों को समन्वित करेगा।”

“हम स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद , विशेष रूप से इराक में इस्लामिक स्टेट और लेवेंट (आईएसआईएल, जिसे देश के रूप में भी जाना जाता है) और संबद्ध आतंकवादी समूह और व्यक्ति , अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक वैश्विक और अभूतपूर्व खतरा हैं। आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय दृष्टिकोण के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को मजबूत करते हुए , हम सभी राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के प्रभावी कार्यान्वयन का अनुरोध करते हैं और संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद प्रतिरोध ढांचे की प्रभावशीलता को बढ़ाने पर हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम सभी राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (सीसीआईटी) पर व्यापक समझौते को अपनाने में तेजी लाने के लिए बिना किसी देरी के काम करने का आह्वान करते हैं। हम सभी राज्यों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि वे अपने क्षेत्रों से आतंकवादी कार्रवाई को रोकें।”

“हम धन शोधन और आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण पर एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और इसकी संचालन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सहित एफएटीएफ की समेकित रणनीति के त्वरित, प्रभावी और सार्वभौमिक कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं। हम एफएटीएफ और एफएटीएफ शैली क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) में अपने सहयोग को तेज करना चाहते हैं।”

“... हम मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद, धन शोधन और संगठित अपराध के बीच बढ़ती संबंधों पर गहरी चिंता करते हैं। हम ब्रिक्स ड्रग नियंत्रण एजेंसियों के बीच सहयोग की सराहना करते हैं और 8 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एंटी- ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग में विचार- विमर्श का स्वागत करते हैं।